हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.20 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप. उप. अधिवक्ता/आवेदक की बहस सुनी गई। पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 16.12.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	
16.12.20 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप. प्रार्थी एवं अधिवक्ता [illegible] हुए राजस्व [illegible] अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्युत विभाग [illegible] के निकासार्थ [illegible] रहवासार का निर्माण किया जावे। TSR को तरमीम जारी होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास श्री राजकेश मीना ,आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :– 172/2020

:–

श्री रूघनाथसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी भेड़ तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

गण

1. श्री शम्भुसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बैराथलकलां तहसील खींवसर जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

ील पक्षकारान

प्रार्थी वकील :– श्री नरेन्द्रसिह राठौड़
अप्रार्थी वकील :– श्री लालसिंह राठौड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट वास्ते बाबत् रास्ता दीलाने हेतु।

आदेश

दिनांक 18.12.2020

प्रार्थी जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व आवेदन अधीन धारा 251 ए आरटीएक्ट रास्ता घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है की भेड़ का खेत खसरा नबंर 187 रकबा 21.04 बीघा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है जिसमें ख.न. 186 रकबा 00.03 बीघा गै.मु. ढाणी स्थित है तथा इस खेत में प्रार्थी एवं प्रार्थी की कुल सात रहवासी ढाणियां बनी हुई है । प्रार्थी का यह खेत ग्राम भेड़ की पश्चिमी एवं ग्राम बैराथलकलां की पूर्वी सरहद पर स्थित है। प्रार्थी के पश्चिमी तरफ ग्राम कलां की सरहद का खेत ख.न. 498 रकबा 23.06 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी एवं काश्त का स्थित है ।

प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत ख.न. 187 रकबा 21.04 बीघा एवं खेत में ख.न. 186 रकबा 00.03 बीघा गै.मु. ढाणी एवं अन्य स्थित रहवासी ढाणियों में आने जाने का लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता ग्राम बैराथलकलां के ख.न. 498 रकबा 23.06 बीघा बी दक्षिणी होता हुआ है। जो ख.न. 498 की पश्चिमी सींव पर स्थित कटाणी रास्ते से प्रार्थी एवं प्रार्थी वार अपने गन्तव्य स्थान तक आ जा रहे है।

प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत ख.न. 187 रकबा 21.04 बीघा व इसमें स्थित 86 रकबा 00.03 बीघा गै.मु. ढाणी व अन्य रहवासी ढाणियों का सबसे लघुत्तम निकटतम एवं रास्ता ग्राम बैराथलकलां की सरहद में स्थित ख.न. 498 की दक्षिणी सींव से होकर इस के पश्चिमी सींव पर स्थित कटाणी रास्ते तक है। अतः उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के लिए आवेदन प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

कुल रकबा 01.05.11 बीघा प्रभावित होगा । जिसकी प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी को कुल .00 रूपये देय होगी। उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी भुगतान करे। अप्रार्थी द्वारा तिकर राशि नहीं लेने पर राजकोष में जमा करवायें। उक्त घोषित किया गया रास्ता, "उक्त र किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा ! यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता ो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।"

हसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

तः प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त का मौजा भेड़ में खातेदारी एवं कब्जा सुदा खेत ख.न. बीघा में कृषि कार्य के लिए आने जाने एवं कृषि यत्र लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या खेत ख.न. 498 के पश्चिमी माठ के पास ग्रेवल सड़क से लेकर इसी खेत की उतरी दिशा के चिपते चिपते खेत की दक्षिणी माठ के पूर्वी कोने तक 12 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया । रास्ते में जाने वाली भूमि की गणना राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र प.3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसरण में कुल रकबा 01 बीघा 05 1 बिस्वांशी की डीएलसी दर का ढाईगुना रूपये 1,05,251/– रूपये अप्रार्थी संख्या 01 को गतान करें अगर अप्रार्थी संख्या 01 उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो उक्त राशि प्रार्थी के जकोष में जमा करवाने के प्रश्चात उक्त आदेशानुसार रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम ावें। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक निक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो और उक्त आराजी किसी भी बैंक में हो तो, रहन मुक्त होने के प्रश्चात उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना हन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 16.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर